संख्या:- /XVII 02/2017-10(12)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2048/स0क0/परित्यक्ता पेंशन/2017–18 दिनांक 01 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान हेतु मांग की गई कुल धनराशि ₹ 306.48 लाख के विरूद्ध उपलब्ध बजट प्राविधान ₹ 250.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹ 175.00 लाख (रूपये एक करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. पेंशन की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कराया जायेगा तथा कोई भी अनियमित भुगतान नहीं किया जायेगा तथा व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। पेंशन लाभार्थियों के खातों को आधार से जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. पेंशन आवंटन के समय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों/मानकों के आलोक में लाभार्थियों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुये तद्विषयक त्रैमासिक सत्यापन आख्या/रिपोर्ट शासन को आवश्यक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शा... या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

8. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेंगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत परिव्यय के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

14. योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मासिक विवरण सीधे शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जाय। साथ ही बी0एम0–8 (पुराना बी0एम0–13) पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः.....पृष्ठ–3

15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–i (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–15 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235–02–103–20 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में एवं बजट आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलॉटमैंट आई0 डी0 संख्या–S1710150074 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 793/XVII–02/2017–10(12)/2016 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

ख्या - 713 /XVII-2/17-10(12)2016

आवंटन आई डी - S1710150074

- 015

आवंटन पत्र दिनांक - 11-Oct-2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखाशीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण — 02 - समाज कल्याण

103 - महिला कल्याण

20 - परित्यक्त/ निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान

00 - परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित

रु० में

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
33 - पेंशन/आनुतोषिक	7500000	17500000	25000000
	7500000	17500000	25000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 17500000